15000 रु 15000 रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs. 15000 भारत INDIA Rs. 15000

0386 848688

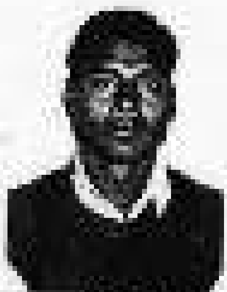

विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	: कृषि
2.	तहसील	: लखनऊ
3.	ग्राम	: आगामऊ
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	: भूमि खसरा संख्या-754
5.	मापन की इकाई	: हेक्टेअर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	: 0.216 हेक्टेअर

15000रु भारतीय गैर न्यायिक 15000रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

03BB 846689

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग/कुआं/[illegible]	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रु0 4,00,169/-
11.	मालियत	:	रु0 3,78,000/-
12.	स्टाम्प	:	रु0 40,100/-

चौहद्दी

खसरा नं0 754

पूरब	: खसरा संख्या-756
पश्चिम	: खसरा संख्या-742
उत्तर	: खसरा संख्या-742
दक्षिण	: खसरा संख्या-753

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A-255665

प्रथम पक्ष की संख्या–04 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) रामू (2) राजेश (3) सरदार पुत्रगण स्व0 मैकू लाल व (4) श्रीमती प्रेम कुमारी पत्नी स्व0 मैकू लाल, निवासीगण–ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ व्यवसाय – कृषि	:	कुड़ी लाल पुत्र शिवदास निवासी–मिर्जापुर, गिरादी, पोस्ट–मवनाव, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 265669

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) रामू (2) राकेश (3) सरदार पुत्रगण स्व0 मैकू लाल व (4) श्रीमती प्रेम कुमारी पत्नी स्व0 मैकू लाल, निवासीगण ग्राम अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् कुंदी लाल पुत्र शिवदास निवासी-मिर्जापुर, बिंदकी, पोस्ट-नरगांव, जिला-फतेहपुर, उ0प्र0 जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 1 -

यह कि विक्रेतागण सत्यापित खाता खतौनी क्रम संख्या–204 फसली वर्ष 1409 से 1414 भूमि खसरा संख्या–754 रकबा 0.648 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानि 0.216 हेक्टेयर, स्थित ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिल व काबिज हैं तथा सत्यापित सत्यापित खाता खतौनी क्रम संख्या 203 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद दिनांक 29.08.2006 को राजस्व अभिलेखों में हो गया है, अतः भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 059380

होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 099381

इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 4,80,168/- (रुपया चार लाख अस्सी हजार एक सौ अड़सठ मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 089382

भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख की अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत किया गया है, को कब्जे दे दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उनके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH G 571609

उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नही डाल सकेंगी एवं न ही कोई मांग कर सकेंगी। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये

अदालत मस्तूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम अहमामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के अति विशिष्ट ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 17,50,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.216 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,78,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 48,100/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि खरीद

पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

खसरा संख्या–754 रकबा 0.648 हेक्टेयर का 1/3 भाग यानि 0.216 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– अहमामऊ परगना, तहसील व जिला लखनऊ,।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. विक्रेता राजू ने रू0 1,20,042/– नगद, क्रेता से प्राप्त किये।
2. विक्रेता प्रकाश ने रू0 1,20,042/– नगद, क्रेता से प्राप्त किये।
3. विक्रेता सरदार ने रू0 1,20,042/– नगद, क्रेता से प्राप्त किये।
4. विक्रेता श्रीमती प्रेम कुमारी ने रू0 1,20,042/– नगद, क्रेता से प्राप्त किये।

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 4,80,168/- (रुपये चार लाख अस्सी हजार एक सौ अड़सठ मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से, प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेतागण स्वीकार करते हैं।

लखनऊ

दिनांक: 23.12.2006

गवाह

1. [illegible]

विक्रेतागण

2. [illegible]

क्रेता

टाईपकर्ता

(राम सनेही)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

[illegible]

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

पेशा : कृषि

[illegible]

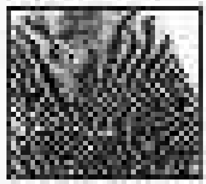

[illegible]

उप निबंधक (द्वितीय)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

विक्रेता

[illegible]

पेशा : कृषि

[illegible]

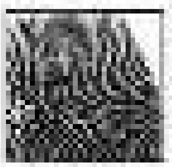

क्रेता

[illegible]

पेशा : कृषि

[illegible]

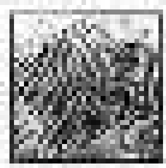

[illegible]

पेशा : कृषि

[illegible]

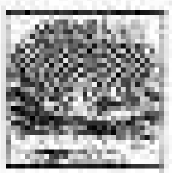

[illegible]

पेशा : कृषि

[illegible]

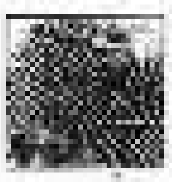

[illegible]

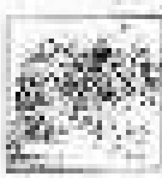

रजिस्ट्रेशन अधिनियम–1908 की धारा 32–ए, के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्ट्स

क्रेतागण / विक्रेता का नाम व पता:– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

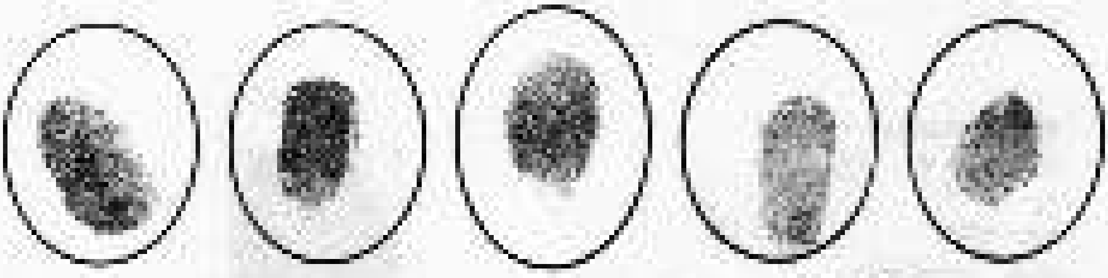

रामू

क्रेतागण/विक्रेता/ग्रहीता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता:– [illegible]

[illegible]

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

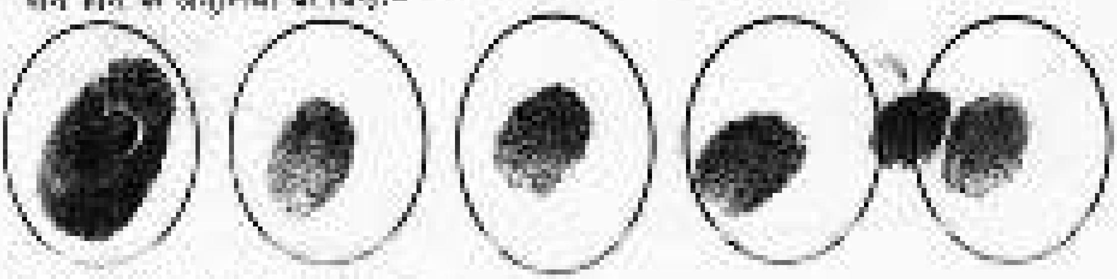

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह:–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

ने निष्पादन स्वीकार किया ।
जिनकी पहचान श्री [illegible]
पु0 श्री [illegible]
पेशा व्यापार
निवासी [illegible]
व श्री [illegible]
पु0 श्री [illegible]
पेशा कृषि
निवासी [illegible]
ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

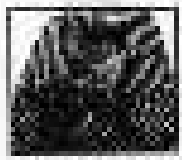

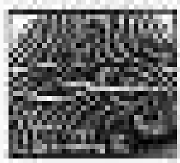

ओ पी सिंह
उप निबन्धक (द्वितीय)
[illegible]
[illegible]/12/2008

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता का नाम व पताः-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

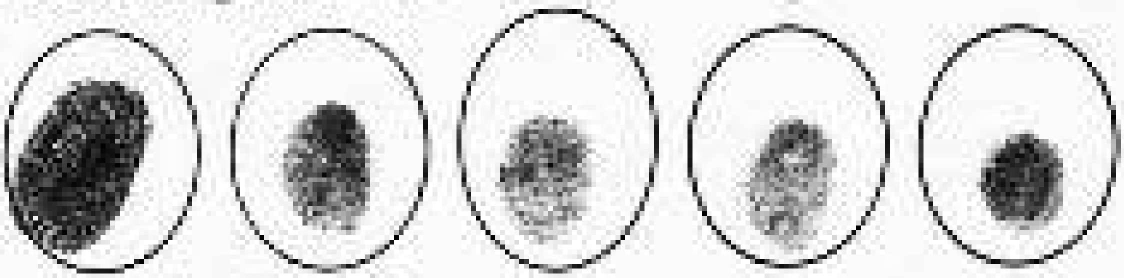

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

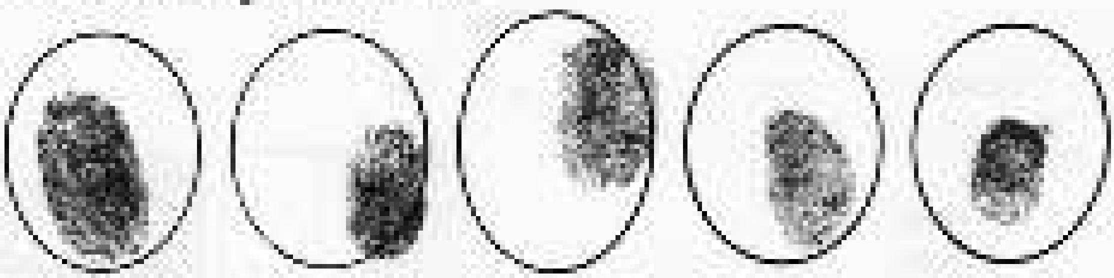

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पताः-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

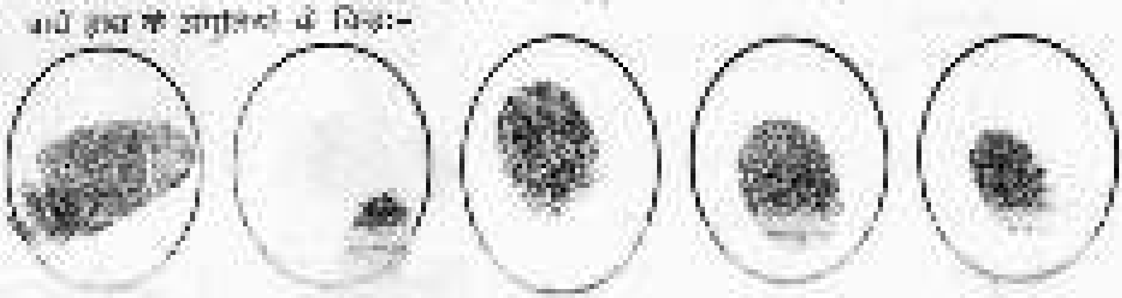

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्हः-

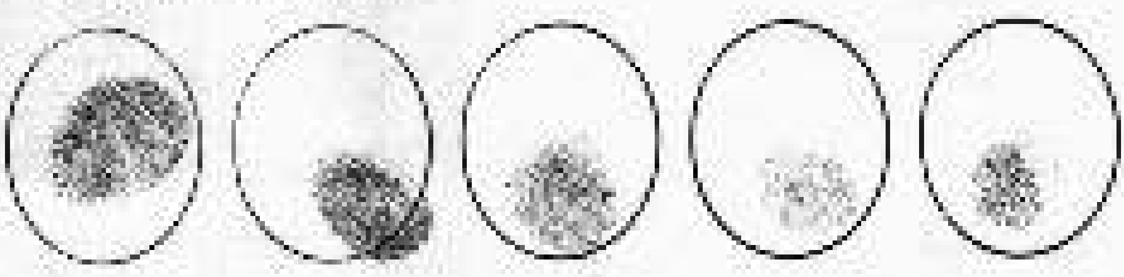

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 11577 Year : 20[illegible] Sheet No. 1

0101 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

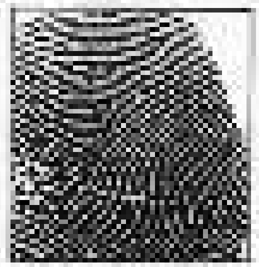

0102 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

0103 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

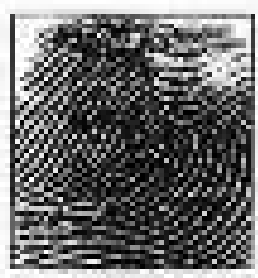

0104 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा–32 ए० के अनुपालन हेतु, फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता नाम व पता : [illegible]
[illegible] अमौली, फतेहपुर

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

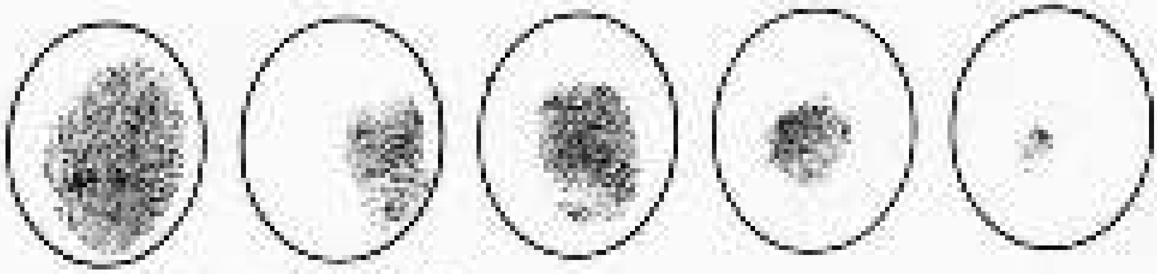

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता नाम व पता :– ....

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता/क्रेता के हस्ताक्षर

[illegible]

Registration No. 11907 Year: 2006 Book No.

8301 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

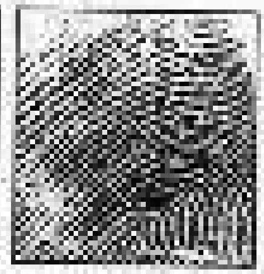

नक्शा नजरी

ग्राम : [illegible]

खसरा संख्या– [illegible]

विक्रेता : [illegible]

क्रेता : [illegible]

विक्रीत सम्पत्ति के निकट स्थित समस्त सम्पत्तियों का विवरण